

**न्यायालय-अनिल कुमार बारा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बस्तर स्थान  
जगदलपुर (छ0ग0)**

:: कार्य विभाजन आदेश ::

कर्मोंक-क्यू/सी.जे.एम/2023

जगदलपुर, दिनांक-17.01.2023

में अनिल कुमार बारा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जगदलपुर जिला बस्तर छ0ग0 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 14 सहपठित धारा-15(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा जिला बस्तर छ0ग0 में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटों के मध्य पूर्व में जारी किये गये आपराधिक कार्य विभाजन को निरस्त करते हुए जिला बस्तर में पदस्थ सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के लिए, आपराधिक प्रकरणों एवं कार्यों का विभाजन आदेश, निम्नानुसार जारी करता हूँ जो दिनांक 17.01.2023 से प्रभावशील होगा :-

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम एवं पद नाम	दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-14 के अंतर्गत निर्धारित क्षेत्राधिकार	आपराधिक प्रकरणों की जाँच एवं विचारण संबंधी कार्य का विवरण
01	02	03	04
01	अनिल कुमार बारा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जगदलपुर जिला बस्तर (छ0ग0)	सम्पूर्ण राजस्व जिला बस्तर, जगदलपुर तहसील के अंतर्गत आरक्षी केन्द्र- कोतवाली जगदलपुर, बोधघाट, भानपुरी, नगरनार, लोहणडीगुड़ा, रेल सुरक्षा बल जगदलपुर, एवं यातायात पुलिस जगदलपुर	1. बस्तर जिला के सभी क्षमा प्राप्त अभियुक्तों से संबंधित प्रकरण। 2. बस्तर जिले के ऐसे सभी अभियोग पत्र जिसमें संबंधित अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धि में दो वर्ष या उससे अधिक का कारावास का दंड रहा हो। 3. रेल सुरक्षा बल जगदलपुर के पूर्व निर्धारित क्षेत्राधिकार से उत्पन्न रेल अधिनियम 1989 एवं रेल संपत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम 1966 के तहत प्रस्तुत इशतगाशा एवं परिवाद 4. बस्तर जिला से संबंधित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, परिवहन उड़नदस्ता की ओर से प्रस्तुत इशतगाशा। 5. आबकारी वृत्त जगदलपुर के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न आबकारी अधिनियम के अपराध के संज्ञान लेने, जांच विचारण करना। 6. बस्तर वन मंडल, जगदलपुर द्वारा प्रस्तुत वन विभाग से संबंधित समस्त थाना क्षेत्रों से उत्पन्न प्रकरण। 7. सम्पूर्ण बस्तर में जिला न्यायाधीश महोदय की अनुमति से चलित न्यायालय लगाना। 8. ऐसे समस्त अपराधों का संज्ञान लेना, जांच एवं विचारण करना, अन्य कार्यवाही करना जिसमें तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा सशक्त किया गया हो एवं जिनका वर्णन इस कार्य विभाजन आदेश में नहीं है, तथा स्पष्ट एवं

			<p>अभिव्यक्त रूप से अन्य किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट को न सौंपा गया हो।</p> <p>9. माननीय सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना जिनमें जांच एवं विचारण का क्षेत्राधिकार प्राप्त हो।</p> <p>10. कालम नंबर-3 में वर्णित आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, आपराधिक परिवाद पत्रों का संज्ञान लेना, जांच एवं विचारण करना, उपापण एवं अन्य कार्यवाही करना।</p> <p>11. इन आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न होने वाले खात्मा खारिजी प्रतिवेदन का निराकरण करना।</p> <p>12. बस्तर जिले के सभी थाना क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले जन प्रतिनिधि अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>13. बस्तर जिले के सभी थाना क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले निम्न लिखित अधिनियमों से संबंधित समस्त प्रकरणों का निराकरण करना :-</p> <p>(01) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधि0 1954,  (02) औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम 1954,  (03) भारतीय वन अधिनियम 1927,  (04) वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972,  (05) चल चित्र अधिनियम 1944,  (06) नाप तौल अधि0 दुकान स्थापना अधि0 1958,  (07) खान अधिनियम 1952,  (08) नगर निकाय अधिनियम 1961,  (09) केन्द्रीय उत्पादक शुल्क एवं नमक अधि0 1944,  (10) विदेशी व्यापार अधि0 (विकास एवं विनियम) 1992,  (11) कम्पनी अधिनियम 1957,  (12) धन कर अधिनियम 1957,  (13) दान कर अधिनियम 1958,  (14) आयकर अधिनियम 1961,  (15) सीमा शुल्क अधिनियम 1962,  (16) निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम 1963,  (17) कम्पनी(लाभ) अधिकर अधिनियम 1964,  (18) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम 1969,  (19) विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम 1973</p>
02	श्रीमती अनिता ध्रुव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जगदलपुर जिला बस्तर	आरक्षी केन्द्र- फेजरपुर (परपा), बस्तर, करपावंड, अजाक जगदलपुर	<p>1. इन आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद पर अपराध का संज्ञान लेना, जांच एवं विचारण करना, उपापण कार्यवाही करना।</p> <p>2. इन थाना क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले खात्मा</p>



	(छ0ग0)		<p>खारिजी का निराकरण करना।</p> <p>3. माननीय सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर द्वारा अंतरित किए गए प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>4. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जगदलपुर द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>5. आरक्षी केन्द्र कोतवाली जगदलपुर, बोधघाट, कोड़ेनार, दरभा, बड़ांजी, मारडूम, एवं आरक्षी केन्द्र रेल सुरक्षाबल जगदलपुर से उत्पन्न होने वाले धारा-164 दं.प्र.सं. के तहत संस्वीकृति एवं कथन लेखबद्ध करना।</p>
03	सुश्री सीमा कंवर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जगदलपुर जिला बस्तर (छ0ग0)	आरक्षी केन्द्र- कोड़ेनार, दरभा, बड़ांजी	<p>1. इन आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद पर अपराध का संज्ञान लेना, जांच एवं विचारण करना, उपापण कार्यवाही करना।</p> <p>2. इन थाना क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले खात्मा खारिजी का निराकरण करना।</p> <p>3. माननीय सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर द्वारा अंतरित किए गए प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>4. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जगदलपुर द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>5. जिले में घरेलू हिंसा के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरणों का संज्ञान व विचारण एवं आवश्यक कार्यवाही करना।</p> <p>6. आरक्षी केन्द्र भानपुरी, नगरनार, लोहणडीगुड़ा, फेजरपुर (परपा), बस्तर, करपावंड, अजाक जगदलपुर, बुरगुम, मालेवाही, एवं कुकानार से उत्पन्न होने वाले धारा-164 दं.प्र.सं. के तहत संस्वीकृति एवं कथन लेखबद्ध करना।</p>
04	श्रीमती मीनाक्षी नाग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जगदलपुर जिला बस्तर (छ0ग0)	आरक्षी केन्द्र- बुरगुम, कुकानार, मालेवाही, मारडूम	<p>1. इन आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद पर अपराध का संज्ञान लेना, जांच एवं विचारण करना, उपापण कार्यवाही करना।</p> <p>2. इन थाना क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले खात्मा खारिजी का निराकरण करना।</p> <p>3. माननीय सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर द्वारा अंतरित किए गए प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>4. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जगदलपुर द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>5. जगदलपुर जिले से उत्पन्न पराकर्म्य लिखित</p>

			अधिनियम 1881 के तहत समस्त अपराध का संज्ञान लेना, जांच एवं विचारण तथा अन्य कार्यवाही करना। 6. जिले के सभी थाना से उत्पन्न किशोर न्याय बोर्ड एवं पाक्सो अधिनियम द्वारा विचारणीय मामलो या किसी विशेष अधिनियम से उत्पन्न धारा-164 दं.प्र.सं. के तहत संस्वीकृति एवं कथन लेखबद्ध करना।
05	श्री अजय सिंह मीणा न्यायमजिद्वि श्रेणी जगदलपुर		1. माननीय सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर द्वारा अंतरित किए गए प्रकरणों का निराकरण करना। 2. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जगदलपुर द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरणों का निराकरण करना।
06	श्री मनीष कुमार न्यायमजिद्वि श्रेणी जगदलपुर		1. माननीय सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर द्वारा अंतरित किए गए प्रकरणों का निराकरण करना। 2. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जगदलपुर द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरणों का निराकरण करना।

टीप :-

(01) संक्षिप्त विचारण प्रक्रिया अपनाते हेतु सशक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने नियमित न्यायिक कार्य को अप्रभावित रखते हुए सुविधानुसार चलित न्यायालय अपने न्यायालयीन क्षेत्राधिकार अंतर्गत आने वाले थाना क्षेत्र में एवं सम्पूर्ण जिले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जगदलपुर को सूचना देकर एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय से अनुमति प्राप्त कर लगा सकेंगे।

(02) समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचना देकर एवं अनुशांसा से माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय से अनुमति प्राप्त कर किसी भी प्रकार के अवकाश पर अपने मुख्यालय से प्रस्थान कर सकेंगे।

(03) समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट अवकाश पर जाने के पूर्व सूचना अपनी अनुपस्थिति में आवश्यक कार्य करने हेतु अधिकृत मजिस्ट्रेट एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को आवश्यक रूप से देंगे।

(04) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में कमवार अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट माननीय उच्च न्यायालय एवं सत्र न्यायालय से प्राप्त जमानत आदेशों के पालन में जमानत/मुचलके की तस्दीक करेंगे।

(05) कार्य विभाजन आदेशानुसार संबंधित थानो से प्रस्तुत स्थायी गिरफ्तारी वारंट संबंधित न्यायालयों में पेश की जावेगी।

(06) जिला बस्तर में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने पर उनके न्यायालय से संबंधित आपराधिक प्रकरणों के कार्य का सम्पादन उनके सम्मुख दर्शित कमशः न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा निम्नानुसार किया जावेगा:-





(माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, बस्तर स्थान-जगदलपुर छ.ग. द्वारा अनुमोदित।)

सही / -

(अनिल कुमार बारा)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
जगदलपुर

प्रतिलिपि :-

01. माननीय रजिस्ट्रार जनरल, छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर।
02. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, बस्तर स्थान-जगदलपुर छ.ग.।
03. प्रस्तुतकार, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बस्तर, स्थान-जगदलपुर, छ.ग.।
04. कार्यालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बस्तर, स्थान-जगदलपुर, छ.ग.।
05. माननीय विशेष न्यायाधीश, एटोसिटीज बस्तर, स्थान-जगदलपुर छ.ग.।
06. माननीय प्रथम/तृतीय/एफ.टी.सी./अपर सत्र न्यायाधीश, बस्तर स्थान-जगदलपुर छ.ग.।
07. प्रस्तुतकार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जगदलपुर।
08. श्री/श्रीमती ..... न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी/न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी जगदलपुर जिला-बस्तर छ.ग.।
09. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जगदलपुर जिला - बस्तर, छ.ग.।
10. पुलिस अधीक्षक, जगदलपुर, जिला - बस्तर, छ.ग.।
11. लोक अभियोजक जगदलपुर छ.ग.।
12. जिला अभियोजन अधिकारी, जगदलपुर जिला-बस्तर, छ.ग.।
13. अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ जगदलपुर, जिला-बस्तर, छ.ग.।
14. उप संचालक, खाद्य एवं औषधि प्रसाधन, जगदलपुर, जिला-बस्तर, छ.ग.।
15. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जगदलपुर, जिला-बस्तर, छ.ग.।
16. जिला आबकारी अधिकारी जगदलपुर जिला-बस्तर, छ.ग. को सूचनार्थ एवं अन्य आबकारी निरीक्षक/उपनिरीक्षक आबकारी वृत्तो को परिचालन हेतु।
17. आयुक्त, नगर निगम, जगदलपुर, जिला-बस्तर, छ.ग.।
18. वन संरक्षक, जगदलपुर, जिला-बस्तर, छ.ग.।
19. वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) वन मंडल, जगदलपुर।
20. संचालक, कांगेर घाटी नेशनल पार्क, जिला-बस्तर, छ.ग.।
21. वन परिक्षेत्र अधिकारी जगदलपुर।
22. श्रम आयुक्त बस्तर संभाग जगदलपुर जिला बस्तर छ.ग.।
23. कार्यपालनयंत्री, छ.ग. राज्य विद्युत मंडल/विद्युत सुरक्षा निरीक्षक, जगदलपुर, छ.ग.।
24. केन्द्रीय पंजीयन शाखा, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
25. थाना प्रभारी- कोतवाली जगदलपुर/बोधघाट/परपा (फेजरपुर)/अजाक जगदलपुर/मारडूम/लोहंडीगुड़ा/बड़ान्जी/भानपुरी/बस्तर/दरभा/कोड़ेनार/कूकानार/करपावण्ड/नगरनार/बुरगुम/मालेवाही जिला-बस्तर, छ.ग.।
26. आरक्षी केन्द्र रेल सुरक्षा बल जगदलपुर छ.ग.।

जगदलपुर

दिनांक-17.01.2023

(अनिल कुमार बारा)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
जगदलपुर